12-6A

RB/Estt. No.121/2004

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS /RAIL MANTRALAYA
RAILWAY BOARD

No. E(NG)I/2002/PM7/38 New Delhi, Dated 09-06-2004

The General Manager
All Indian Railways/PUs.
(As per standard list)

Sub:- Classification of the post of Chemical & Metallurgical Supdt. Gr.I in CMT Wing of Mechanical Engg. Department.

In terms of instructions contained in this Ministry's letter No.E(NG)I/89/PM7/2 dated 10.07.1991, the posts of Supdt. (NDT/Gamma Ray/Radiography) in the IV Pay Commission scale of pay Rs.2375-3500 wherever existing in Chemical and Metallurgical Wing, have been classified as "Selection" posts to be filled from amongst staff working as Supdt. (X-Ray/Spectrography/Industrial Engg.) in IV Pay Commission scale of pay Rs.2000-3200. The post of Supdt. (X-Ray/Spectrography/Industrial Engg.) has been given higher than the normal replacement scale Rs.7450-11500 and has been redesignated as CMS Gr.I. Thus, the posts of Supdt. (X-Ray/ Spectrography/Industrial Engg.) and that of Supdt. (NDT/Gamma Ray/Radiography) have come to be placed in the same revised V Central Pay Commission scale of pay Rs. 7450-11500.

2. In the above background, the question of filling up the posts of Chemical and Metallurgical Supdt. (CMS) Gr.I has been considered by this Ministry. Since, it may not be administratively feasible to operate the posts of Supdt. (X-Ray/Spectrography/Industrial Engg.) and that of Supdt. (NDT/Gamma Ray/Radiography) independent of each other and fill them on different basis, it has been decided by the Ministry of Railways that the posts of Superintendent (NDT/Gamma Ray/Radiography) in the pay scale of Rs. 7450-11500 should be merged with the posts of Superintendent (X-Ray/Spectrography/Industrial Engg.) since redesignated as CMS Gr.I in the same scale of pay viz. Rs.7450-11500. It has also been decided that the posts in this merged grade Rs. 7450-11500 should be filled on the basis of <u>non-selection</u> from staff in the immediate lower grade working as CMS Gr.II in the pay scale of Rs.6500-10500 posts in which already stand classified as 'selection'.

(This also disposes of ICF's letter No.PB/S2/Lab dated 27-05-2002).

The receipt of this letter may please be acknowledged.

(J.S. Gusain)
Director Estt.(N)
Railway Board.

New Delhi. 9.6.2004

No.E(NG)I-2002/PM7/38

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.
11. Adv./Safety, Railway Board.
12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to MR, MSR(N)and MSR(V).

PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, Secretary.

PPSs to all Additional Members, Advisers, DG/RHS and DG/RPF.

PSs to all EDs/JSs and IG/RPF.

D(OL), DPC-I&II, DE(Res), DE(G), D(IH), D(H&FW), DE(L), JDE(N)II, DE(R)I&II, JDE(Rep)I&III, JDE(D&A), JDE(LR), DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)I, US(A), DDV(A&P), DDE(Rep)II, DD(OL)I&II, E(NG)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, PC-III,IV&V, E(P&A)I&II, CE-I,II&III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, A/C-III Code Revision Cell.

आर बी ई सं. 121/2004

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी)I/2002/पीएम /7/38 नई दिल्ली, दिनांक 09.06.04

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के सी एम टी विंग में रसायन एवं धातुकर्म अधीक्षक ग्रेड-I के पद का वर्गीकरण.

रेल मंत्रालय के 10.7.1991 के पत्र सं. ई (एन जी) I/89/पीएम 7/2 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, रसायन एवं धातुकर्म विंग में जहां कहीं चौथे वेतन आयोग के 2375-3500 रुपये के वेतनमान में अधीक्षक (एन डी टी/गामा रे/रेडियोग्राफी) के पद मौजूद हैं, उन्हें "सेलेक्शन" पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और जिन्हें चौथे वेतन आयोग के 2000-3200 रुपये के वेतनमान में अधीक्षक (एक्स-रे/स्पेक्ट्रोग्राफी/औद्योगिक इंजीनियरी) के रूप में कार्यरत कर्मचारियों में से भरा जाना है. अधीक्षक (एक्स रे/स्पेक्ट्रोग्राफी/औद्योगिक इंजीनियरी) के पद को सामान्य प्रतिस्थापन वेतनमान से अधिक वेतनमान 7450-11500/- रु. दिया गया है और उसे सी एम एस ग्रेड I के रूप में पुनः पदनामित किया गया है. इस प्रकार अधीक्षक (एक्स-रे/स्पेक्ट्रोग्राफी/औद्योगिक इंजीनियरी) और अधीक्षक (एन डी टी/गामा रे/रेडियोग्राफी) के पद पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के 7450-11500/- रु.के उसी संशोधित वेतनमान में आ गए है.

2. उपर्युक्त को देखते हुए, रसायन एवं धातुकर्म अधीक्षक (सी एम एस) ग्रेड I को भरने के प्रश्न पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है. चूंकि अधीक्षक (एक्स रे/स्पेकट्रोग्राफी/औद्योगिक इंजीनियरी) एवं अधीक्षक (एन डी टी/गामा रे/रेडियोग्राफी) के पदों को स्वतंत्र रूप से अलग-अलग परिचालित करना और भिन्न आधार पर भरना प्रशासनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है, अतः रेल मंत्रालय द्वारा विनिश्चय किया गया है कि 7450-11500/- रु. के वेतनमान में अधीक्षक (एन डी टी/गामा रे/रेडियोग्राफी) के पदों को अधीक्षक (एक्स रे/स्पेक्ट्रोग्राफी/औद्योगिक इंजीनियरी) के पदों के साथ मिला दिया जाए जिन्हें अब 7450-11500/- रु. के उसी वेतनमान में सी एम एस ग्रेड-I के रूप में पुनः पदनामित किया गया है. यह भी विनिश्चय किया गया है कि 7450-11500/-रु. के इस मिलाए गए ग्रेड में पदों को इस के ठीक निचले ग्रेड में 6500-11500/-रु. के वेतनमान ——— जो पद 'सेलेक्शन' के रूप में वर्गीकृत किए

-2/-

जा चुके है, में सी एम एस ग्रेड II के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों में से 'नॉन-सेलेक्शन' के आधार पर भरा जाए.

(इससे सडिका के 27.5.02 के पत्र सं.पीबी/एस 2/लैब का भी निपटारा हो जाता है.)

कृपया इस पत्र की पावती दें.

(जे.एस. गुसाईं)
निदेशक, स्था (अराज)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एन जी)I/2002/पीएम /7/38 नई दिल्ली, दिनांक 9.6.04

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. महासचिव, ए आई आर एफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
2. महासचिव, एन एफ आई आर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
3. राष्ट्रीय परिषद तथा विभागीय परिषद के सदस्य तथा कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद के सचिव, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, आई आर पी ओ एफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. महासचिव, अखिल भारतीय रेसुब संघ, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001
7. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. सलाहकार/संरक्षा, रेलवे बोर्ड.
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड